



भारत सरकार

वित्त मंत्रालय

कार्यालय

आयकर आयुक्त

16, मुमल टॉवर, सहेली मार्ग, उदयपुर.(राज.)

प्रमाणक: आ.आ./उदय/न्यायिक/2011-2012/ 590

दिनांक : 24.05.2011

आदेश :-

विषय:- आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी सहपठित नियम 11AA के अधीन छूट ।

— 00 —

दानदाताओं द्वारा दाता संस्थान, 240-ए, हिंदून मण्डी, स्कैपर नं. 6, उदयपुर (PAN RABTT8858J) को दिये गये दान आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 80 जी के अधीन उक्त धारा में विहित सीमाओं तथा शर्तों के साथ आयकर से छूट के योग्य होंगे ।

यह छूट दिनांक 08.02.2011 (आवेदन की तिथी) कर निर्धारण वर्ष 2011-12 से निम्नांकित शर्तों के साथ मान्य होकर किसी भी तरह की अनियन्त्रिता पाये जाने पर छूट समाप्त की जा सकेगी :-

1. दानदाताओं को दी जाने वाली रसीद पर इस आदेश की संख्या एवं दिनांक अंकित किये जावें और यह स्पष्ट रूप से लिखा जावें कि यह प्रमाण पत्र किस दिनांक/अवधि तक मान्य है ।
2. आयकर विवरणी आय एवं व्यय के लेखा विवरण एवं चिट्ठा सम्बन्धित आयकर अधिकारी जिसके क्षेत्राधिकार में प्रकरण आता हो, को सालाना नियत तिथी को प्रस्तुत किये जावें ।
3. यदि संस्था के संविधान/गठन में कोई संशोधन किया जावे तो इसकी जानकारी इस कार्यालय को तत्काल दी जावे ।
4. संस्था को दिए गए दान के लिए दानदाता आयकर अधिनियम की धारा 80 जी के प्रावधानों/शर्तों/सीमाओं के अनुसार छूट प्राप्त करने के हकदार होंगे ।



Sd/-
(एस. पी. मीणा)
आयकर आयुक्त
उदयपुर

नोट :-

इस प्रमाण पत्र के आधार पर उक्त संस्था को अपने कर निर्धारण के समय उसके द्वारा किये गये खर्चों की छूट तब ही प्राप्त होगी जब निर्धारिती (संस्था) आयकर अधिनियम की धारा 2(15) के प्रावधानों के अनुसार पुण्यार्थ है और धारा 11, 12, 12ए(ए) तथा धारा 13 में उल्लेखित शर्तें पूरी करती हो ।

प्रतिलिपि :-

1. अध्यक्ष/न्यासी दाता संस्थान, 240-ए, हिंदून मण्डी, स्कैपर नं. 6, उदयपुर ।
2. आयकर अधिकारी, घार्ड-1(4), उदयपुर को प्रेषित कर निर्देश दिए जाते हैं कि संस्था/प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत आयकर विवरणी की एवं जांच-प्रज्ञालय कार्यालय कार्यालय की पूर्ति दारती है या नहीं एवं आयकर विवरणी प्रस्तुत नहीं करने तथा किसी अनियन्त्रिता पाये जाने पर इस कार्यालय को सूचित करें ताकि घूट समाप्त हो जा सके ।
3. अपर आपकार आयुक्त, रोड-1, उदयपुर ।

(के. आर. शोधल)
आयकर अधिकारी (तक.)
छूट आयकर आयुक्त, उदयपुर